संख्या: 2716/79-6-2007

प्रेषक,

प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।

2 समस्त जिलाधिकारी, (कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया एवं इटावा को छोड़कर),
उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 10 अक्टूबर, 2007

विषय: प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों के राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं ए.आई.ई. केन्द्रों में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा–06 से 08) में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ 1(1)/2007/डेक्स(एम.डी.एम.) दिनाक 27.09.2007 के अनुक्रम में श्री राज्यपाल महोदय शैक्षिक दृष्टि से पिछडे ब्लाको (जनपदवार सूची संलग्न) मे स्थित राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयो एवं ए.आई.ई. केन्द्रो मे उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा–06 से 08) मे अध्ययनरत बच्चो को वर्ष 2007–08 से गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिये जाने की योजना लागू करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान करते है–

1. प्रदेश के राजकीय/परिषदीय/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयो/ए.आई.केन्द्रो मे उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा–06 से 08) मे अध्ययनरत बच्चो को विद्यालय दिवस मे गर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिदिन उपलब्ध करायें जाने वाले भोजन मे 700 कैलोरी ऊर्जा तथा 20 ग्राम प्रोटीन होना अनिवार्य है। भोजन पकाने हेतु 150 ग्राम खाद्यान्न प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस तथा रू0 2.50 परिवर्तन लागत प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।

2. उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न से ग्राम पंचायत उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उपरोक्त प्रकार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध करायेगी। इस योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयो मे लागू मीनू के अनुसार ही चार दिन चावल आधारित तथा दो दिन गेहूँ आधारित भोजन तैयार कर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन की गुणवत्ता यथावत रखी जायेगी।

3. भोजन पकाने के कार्य मे अध्यापकों एवं छात्रों की सहायता नहीं ली जाएगी।

4. खाना पकाने के लिए सहायक सामग्री/रसोइये के मानदेय/ईंधन पर आने वाले व्यय कन्वर्जन कास्ट से वहन किया जाएगा।

5. योजना के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के आय व्ययक से करायी जाएगी लेकिन स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर पर (कक्षा–06 से 08) विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व यथावत पंचायती राज विभाग का होगा।

6. ग्राम प्रधान द्वारा बच्चों की सत्यापित संख्या के आधार पर प्रतिमाह कन्वर्जन कास्ट की धनराशि अग्रिम के रूप में प्राप्त की जा सकेगी तथा उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अगले माह का खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट प्राप्त की जा सकेगी।

7. जनपद स्तर से कन्वर्जन कास्ट की धनराशि ग्राम निधि–V में स्थानान्तरित की

8. योजना के संचालन एवं अनुश्रवण के लिए प्राथमिक विद्यालयों के के परिप्रेक्ष्य में ग्राम स्तर एवं जनपद स्तर पर गठित समिति , जनपद एवं ब्लाक स्तर के नोडल अधिकारी तथा जनपद एवं ब्लाक स्तर पर गठित टास्क फोर्स की व्यवस्था , खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के प्रवाह तथा रसोइयों को रखे जाने की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं यथावत रूप में उच्च प्राथमिक स्तर(कक्षा–06 से 08) पर लागू इस योजना के लिए भी प्रभावी होगीं।

9. प्रदेश स्तर पर इस योजना के प्रबंधन , अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना संचालन के अनुरूप ही मध्याह्न प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

10. इस योजना पर आने वाले व्ययभार के निमित वित्तीय स्वीकृति के आदेश पृथक से जारी किए जा रहे है।

11 उपरोक्त योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अतः उपरोक्त दिए गये निर्देशों का क्रियान्वयन तत्परता से किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा।

पृष्ठांकन समसंख्यक(1) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
6. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
7. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0।
8. निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
10. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
11. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0।
12. प्रबन्ध निदेशक, खाद्य एवं आवश्यक वस्तुत निगम, उ0प्र0।
13. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
14. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
15. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), उ0प्र0।
16. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
17. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
18. समस्त जिला पचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।
20. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
21. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
22. गार्ड फाइल/संबंधित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(आर0सी0 घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।